न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 90/2025 दायर दिनांक–08.04.2025

1 देबूराम सैनी पुत्र धनाराम जाति माली निवासी गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– **वादी**

बनाम

1. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – **श्री दयाराम सैनी**

वकील प्रति. :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत घोषणा
व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 1.14 है0 तथा ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 24, 31, 32 रकबा क्रमशः 0.05, 0.07, 1.57 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.69 है0 स्थित है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम हिस्सा 1/24 व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम देबूराम सैनी पुत्र धनाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र धनाराम गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने के बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर इसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी ने सहादत वादी हेतु देबूराम सैनी व बिरजू का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादीगण ने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2078, पेन कार्ड, बैंक पास बुक व पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में देबूराम सैनी पुत्र धनाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र धनाराम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 1.14 है0 तथा ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 24, 31, 32 रकबा क्रमशः 0.05, 0.07, 1.57 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.69 है0 भूमि का खातेदार देवीलाल पुत्र धनाराम के स्थान पर देबूराम सैनी पुत्र धनाराम [illegible] गोल्याणा दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा फरीकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 90/2025 **(देबूराम बनाम लैण्ड होल्डर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 322 रकबा 1.14 है0 तथा ग्राम चिराना की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 24, 31, 32 रकबा क्रमश: 0.05, 0.07, 1.57 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.69 है0 भूमि का खातेदार देवीलाल पुत्र धनाराम के स्थान पर देबूराम सैनी पुत्र धनाराम सैनी निवासी गोल्याणा दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:15 IST
Reason: SelfAttested